

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प11(3)नविवि/सिणधरी(जिलाबालोतरा)/2026

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सिणधरी (जिला-बालोतरा) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2047 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	सिणधरी चौसीरा	SINDARI CHASEERA	सिणधरी
2.	आदर्श सिणधरी	AADARSH SINDHARI	सिणधरी
3.	सिणधरी चारणान	SINDARI CHARNAN	सिणधरी
4.	मां नागाणाराय नगर	MAA NAGANARAYA NAGAR	सिणधरी
5.	हेमनगर	HEMNAGAR	सिणधरी
6.	आदर्श नाकोडा	AADARSH NAKORA	सिणधरी
7.	वाडेल नाडी	VADEL NADI	सिणधरी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, बालोतरा।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सिणधरी (जिला बालोतरा)।
- सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :29-04-2026 10:24:38

RajKaj Ref No.:
21842970

eSign DSC